उत्तरांचल शासन

ऊर्जा विभाग

संख्या : 1725 /I/2004-02(3)/4/2004

देहरादून : दिनांक : 16, अप्रैल, 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 की उपधारा (2) सपठित धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील की रीति के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–**

(1) इन नियमों का नाम उत्तरांचल विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं :–**

(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) 'निर्धारण अधिकारी' से अधिनियम की धारा 126 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) 'आयोग' से उत्तरांचल विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'वितरण अनुज्ञापी' से अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापी से है और जिसमें उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन भी है;

(ङ) 'अनन्तिम आदेश' से निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश अभिप्रेत है;

(च) 'राज्य सरकार' से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'विद्युत का अनधिकृत उपयोग' से अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण में समनुदेशित अर्थ अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों एवं पदो के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति :–**

(1) अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील, विद्युत का अनधिकृत रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निम्नलिखित में से किसी एक किसी रीति द्वारा किया जायेगा :–

(a) अनन्तिम निर्धारण आदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति से पावती लेते हुए हाथों–हाथ।

(b) पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा।

(c) पावती सहित कूरियर के माध्यम से परिदान द्वारा।

D:\Nimah\W\Hnotification reg. UPCL.doc

(d) किसी अन्य रीति से, जैसा आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित करें।

(2) यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे युक्तियुक्त श्रम से तामील किया जा सके अथवा ऐसा कोई व्यक्ति अनन्तिम निर्धारण आदेश को उक्त रीति से प्राप्त करने से मना करे या बचना चाहे तो आदेश दो साक्षियों की उपस्थिति में ऐसे परिसर में सहजदृष्य स्थान पर चस्पा किया जायेगा

(3) यदि निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाए कि अनन्तिम निर्धारण आदेश को उपरोक्त नियम 3 के उपनियम (1) एवं (2) में उल्लिखित रीति से व्यक्ति पर तामील करना युक्ति–युक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो अनन्तिम निर्धारण आदेश ऐसे समाचार–पत्र में प्रकाशित कर तामील किया जा सकेगा, जिसका उक्त परिसर या स्थान पर जहां विद्युत का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है, परिचालन हो।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे अनन्तिम आदेश की तामील की जानी है, वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है, तो आदेश उस उपभोक्ता के उस पते पर प्रेषित किया जायेगा जो वितरण अनुज्ञापी के पास रजिस्ट्री है एवं अन्य मामलों में उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां वह व्यक्ति साधरणतः निवास करता है अथवा लाभ हेतु कार्य करता है।

4. अनन्तिम आदेश का फार्मेट :–

अनन्तिम आदेश इन नियमों की अनुसूची में दिये गये प्रारूप में होगा जिसमें अन्य ऐसे अतिरिक्त विवरण भी होंगे जिन्हें निर्धारण अधिकारी उचित समझे।

5. कठिनाई दूर करने की शक्ति :–

यदि इन नियमों के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को ऐसी समुचित कार्यवाही करने के निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों और जो कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक और समीचीन समझे जाएं।

6. संशोधन करने की शक्ति :–

राज्य सरकार, किसी भी समय इन नियमों के किसी उपबन्ध में परिवर्तन, उपान्तरण अथवा संशोधन कर सकेगी।

आज्ञा से

एन0 रवि शंकर
सचिव

संख्याः 1725/I/2005-2(3)/4/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, ऊर्जा, भारत सरकार।

2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

4– महालेखाकार, देहरादून, उत्तरांचल।

5– मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

7– आयुक्त, कुमायूं/गढवाल।

8– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

10– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।

11– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0/यू0जे0वी0एन0एल, देहरादून।

12– विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।

13– प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0, देहरादून।

14– उप–निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इ अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन कर 50 प्रतियां शा को उपलब्ध करायी जायें।

15– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

अनुसूची
अनन्तिम आदेश का प्रारूप

1. संख्या :
2. आदेश की तारीख :
3. परिसर/स्थान/बहियां जिनका निरीक्षण किया गया :
4. विद्युत संयोजन की विशिष्टियां
   (क) मीटर संख्या :
   (ख) संयोजित भार :
5. उपभोक्ता का नाम :
6. अध्यासी का नाम :
7. निरीक्षण की तारीख :
8. निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद्नाम :
9. विद्युत के अनधिकृत उपयोग का प्रकार :
   (विद्युत के अनधिकृत उपयोग का विवरण दें। निरीक्षण अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी की प्रति संलग्न)
10. विद्युत के अनधिकृत उपयोग करने वाले व्यक्तियों के नाम व पते :
11. उन व्यक्तियों का नाम व पता जिन्होंने ऐसे अनधिकृत विद्युत उपयोग से लाभ उठाया है :
12. निम्नांकित ब्यौरे सहित अनन्तिम निर्धारण के अधीन ऐसे अनधिकृत विद्युत उपयोग के लिये संदेय विद्युत प्रभार
    (क) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर अवधारित अनधिकृत रूप से उपयोग की जा रही विद्युत की मात्रा :
    (ख) यह अवधारणा कि ऐसा अनधिकृत उपयोग घरेलू व कृषि सेवा की दशा में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व तीन माह की अवधि के लिये तथा अन्य सेवाओं की दशा में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व छः माह के लिये किया जाता रहा है।
    (ग) उपभोक्ताओं का सुसंगत प्रवर्ग जिसके अधीन निर्धारण किया जा रहा है।
    (घ) ऐसी प्रवर्ग का लागू दर का डेढ़ गुना तथा उसकी गणना।
13. विद्युत के अनधिकृत उपयोग के सर्वोत्तम निर्णय के समर्थन में कारण (कारणों का विस्तृत विवरण दें) :
14. दस्तावेज जिन पर अनन्तिम निर्धारण अधिकारी द्वारा विश्वास किया गया :
15. निम्नांकित विवरण :–
    (क) विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिये संदेय विद्युत प्रभार का अवधारण इस अवधारणा पर किया है कि ऐसा अनधिकृत उपयोग 3 माह/6 माह, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि से लगातार किया गया था जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 की उपधारा (5) के अधीन उपबन्धित है और उपधारा (6) के अधीन यथा उपबन्धित डेढ प्रतिशत की दर की गणना की गई है, उपधारायें निम्नवत् हैं :–

"(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग किया गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि विद्युत का ऐसा अनधिकृत उपयोग घरेलू और कृषि सेवा के मामले में निरीक्षण के दिनांक से तत्काल 3 (तीन) मास पूर्व की अवधि के लिए और सेवा की अन्य सभी श्रेणियों के लिए निरीक्षण के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 6 (छ:) मास की अवधि में जारी था, जब तक कि ऐसे परिसर या स्थान के अधिभोगी या कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा इस दायित्व का खण्डन नहीं किया जाता है।"

"(6) इस धारा के अधीन निर्धारण उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सेवा की सुसंगत श्रेणियों के लिए लागू शुल्क दर की डेढ़ गुना दर से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "निर्धारण अधिकारी" से राज्य सरकार या बोर्ड का ऐसा अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, है, जो राज्य सरकार द्वारा उस रुप में अभिप्रेत है, पदाभिहित हो –

(.ख) "विद्युत का अनधिकृत उपयोग" से तात्पर्य विद्युत का ऐसा उपयोग अभिप्रेत है जो

(1) किसी कृत्रिम ढंग द्वारा, या

(2) ऐसे ढंग द्वारा, जो सम्बद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो,

(3) मीटर में गड़बड़ी कर, या

(4) अधिकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए,विद्युत का उपयोग किया गया हो।

(ख) परिसर या स्थान के अधिभोगी या कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध अनन्तिम निर्धारण किया गया है, उपरोक्त अनुमान का खण्डन किया जा सकेगा।

(ग) पारित आदेश अनन्तिम निर्धारण है तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्धारण का आदेश उस व्यक्ति को सुनने के बाद पारित किया जायेगा जिसके विरुद्ध विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिये कार्यवाही की गई है।

(घ) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अनन्तिम निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह अपनी आपत्तियां/प्रतिवेदन निर्धारण अधिकारी को ऐसी अवधि में प्रस्तुत कर सकता है जैसा निर्धारण अधिकारी अनुमति दे (जो अनन्तिम निर्धारण आदेश की तामील की तारीख से 15 दिन से कम नहीं होगी)

(ड) जिस व्यक्ति के लिये अनन्तिम निर्धारण किया गया है उसको यह विकल्प होगा कि वह अनन्तिम निर्धारण आदेश स्वीकार कर निर्धारित धनराशि ऐसे अनन्तिम आदेश की तामील के 7 दिन में जमा कर दें, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति की कोई अतिरिक्त देयता नहीं होगी अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 की उपधारा (4) में उपबन्धित है, जो उपधारा निम्नवत् है :–

"(4) कोई व्यक्ति, जिस पर अनन्तिम निर्धारण (Provisional Assessment) का आदेश तामील किया गया है, ऐसे निर्धारण को स्वीकार कर सकेगा और निर्धारित धनराशि ऐसे अनन्तिम निर्धारण की तामीली के 7 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा कर सकेगा :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति निर्धारित धनराशि जमा कर देता है तो उसकी कोई अतिरिक्त देयता नहीं होगी अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी"।

(च) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन अन्तिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी से की जायेगी। धारा 127 जो निम्नवत् है :

"127. अपील प्राधिकारी को अपील :–

(1) धारा 126 के अधीन किए गए अन्तिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में अपील प्रस्तुत कर सकेगा, जो ऐसे ढंग में सत्यापित हो और ऐसी फीस के साथ हो, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि निर्धारित धनराशि की एक–तिहाई धनराशि नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा नहीं की जाती और ऐसी जमा धनराशि दस्तावेजी का साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है तो उपधारा (1) के अधीन निर्धारण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी,

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रतिलिपि निर्धारण अधिकारी तथा अपीलार्थी को भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन पारित, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

(5) पक्षकारों की सहमति से किए गए अन्तिम आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को नहीं होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त, निर्धारण के आदेश की तारीख से 30 दिन समाप्त होने पर 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, जो प्रति छमाही चक्रवृद्धि, हो जाएगा धनराशि का संदाप करने के लिये दायी होगा।

––––––0––––––

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
Department of Power

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-...1725.../1/2005-02(3)/4/2004, dated:.16,..April, 2005 for general information

NOTIFICATION

No. : 1725 /1/2005-02(3)/4/ 2004

Dehradun : Dated : 16, April, 2005

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 126 read with Clause (k) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003, the Government of Uttaranchal hereby makes the following Rules for the manner of service of the provisional assessment order, namely :

1. Short title and commencement :-

(1) These rules shall be called Uttaranchal Electricity (Manner of Service of Provisional Assessment Order) Rules, 2005.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :-

(1) In these Rules, unless the context otherwise requires :-

(a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;

(b) 'Assessing Officer' means the person designated by the State Government under Section 126 of the Act;

(c) 'Commission' means the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission;

(d) Distribution Licensee means a licensee under Section 14 of the Act and shall include the Uttaranchal Power Corporation Limited;

(e) 'Provisional Order' means the order made by the Assessing Officer under sub-section(1) of Section 126 of the Act;

(f) 'State Government' means the Government of Uttaranchal;

(g) 'Unauthorized use of Electricity' shall have the meaning as assigned in the Explanation to Section 126 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of service of provisional order of assessment :-

(1) The provisional order of assessment shall be served upon the person indulging in unauthorized use of electricity in any of the following manner :

(a) by hand delivery talking acknowledgement from the person receiving the provisional assessment order ;

(b) by registered post with acknowledgement due;

(c) by delivery through courier with acknowledgement due;

(d) by any other manner as the Commission may, by a general or special order, prescribe.

If there is no person in the premises to whom it can be served with reasonable diligence or if any such person refuses to or avoids to receive the provisional assessment order in the above manner it shall be affixed at the conspicuous part of the premises in the presence of two witnesses.

The provisional assessment order may also be served by publication in the newspaper having circulation in the place where the premises or place of unauthorized use is situated, where the Assessing Officer is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the provisional assessment order on the person in any of the manners mentioned above in sub-rules (1) and (2) of Rule 3.

If the person to be served with the provisional assessment order is a consumer of the Distribution Licensee, the Order shall be sent at the address of the consumer registered with the Distribution Licensee and in other cases at the place where the person ordinarily resides or works for gain.

Format of the Provisional Order :-

The provisional order shall be in the form contained in the Schedule to these Rules with such additional particulars as the Assessing Officer may consider appropriate.

Power to Remove Difficulties :-

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the State Government may by a general or special order direct the Assessing Officer to take suitable action not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the State Government to be necessary or expedient for the purposes of removing difficulties.

Power to Amend :-

The State Government may at any time vary, alter, modify or amend any of the provisions of these rules.

By order

N. Ravi Shanker

N. Ravi Shanker
Secretary

SCHEDULE

PROVISIONAL ASSESSMENT ORDER FORMAT

No :

Date of the Order :

Premises/place/books inspected :

Particulars of electricity connection :

(a) Meter No.

(b) Connected Load

Name of the Consumer :

Name of the Occupier :

Date of Inspection :

Name and designation of the Inspecting Officer :

Nature of unauthorized use of electricity

(give description of the unauthorized use of electricity. Copy of the Inspection Note of the Inspecting Officer to be attached)

Names and addresses of the persons indulging in unauthorized use of electricity.

Names and addresses of the persons who have been benefited by such unauthorized use of electricity.

Electricity charges payable for such unauthorized use of electricity under the provisional assessment with the following details :

(a) Quantum of electricity being unauthorizedly used determined on best judgement basis;

(b) The presumption that such unauthorized use has continued for a period of three months immediately before the date of inspection in the case of domestic and agriculture service and for a period of six months immediately before the date of inspection in case of other services;

(c) The relevant category of consumers under which the assessment is being made;

(d) One and a half times of the rate applicable to such category and calculation thereof.

Reasons in support of the best judgement of unauthorized use of electricity.

(Give detailed reasons)

Documents relied on by the Assessing Officer in making the provisional assessment.

The following statements :

A. The electricity charges payable for unauthorized use of electricity has been determined on the presumption that such unauthorized use had continued for a period of 3 (three) months/6 (six) months, as the case may be, as provided under sub-section (5) and at the rate of one and a half times as provided in sub-section (6) of Section 126 of the Electricity Act, 2003 have been calculated which subsection reads as under :

"(5) If the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorized use of electricity has taken place, it shall be presumed that such unauthorized use of electricity was continuing for a period of three months immediately preceding the date of inspection in case of domestic and agricultural services and for a period of six months immediately preceding the date of inspection for all other categories of services, unless the onus is rebutted by the person, occupier or possessor of such premises or place."

(6) The assessment under this section shall be made at a rate equal to one-and a-half times the tariff rates applicable for the relevant category of services specified in sub-section (5).

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "assessing officer" means an officer of a State Government or Board or licensee, as the case may be, designated as such by the State Government;

(b) "unauthorized use of electricity" means the usage of electricity -

- *(i) by any artificial means; or*
- *(ii) by a means not authorized by the concerned person or authority or licensee; or*
- *(iii) through a tampered meter; or*
- *(iv) for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized".*

The presumption mentioned above is rebutable by the person against whom the provisional assessment has been made or the occupier or possessor of the premises or place.

The Order made is a provisional assessment and that the final assessment order shall be made by the Assessing Officer after hearing the persons who have been proceeded against for the authorized use of the electricity.

The persons against whom the provisional assessment order has been made can file their objections/representation to the Assessing Officer within such time as the

Assessing Officer has allowed (which shall not be less than 15 days from the date of the service of the provisional assessment order)

E. The persons who have been provisionally assessed shall have the option to accept the provisional assessment order and deposit the amount assessed within 7 (seven) days of the service of such provisional assessment order in which event such person shall not be subject to any further liability or action as provided in sub-section (4) of Section 126 of the Electricity Act, 2003, which sub section reads as under :

"(4) Any person served with the order of provisional assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within seven days of service of such provisional assessment order upon him.

Provided that in case the person deposits the assessed amount he shall not be subjected to any further liability or any action by any authority whatsoever".

F. An appeal will lie against the final assessment order to the Appellate Authority under Section 127 of the Electricity Act, 2003 which reads as under :

"127. Appeal to Appellate Authority.

(1) Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the Commission, to an appellate authority as may be prescribed.

(2) No appeal against an order of assessment under sub-section (1) shall be entertained unless an amount equal to one third of the assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.

(3) The appellate authority referred to in sub-section (1) shall dispose of the appeal after hearing the parties and pass appropriate order and send copy of the order to the assessing officer and the appellant.

(4) The order of the appellate authority referred to in sub-section (1) passed under sub-section (3) shall be final.

(5) No appeal shall lie to the appellate authority referred to in sub-section (1) against the final order made with the consent of the parties.

(6) When a person defaults in making payment of assessed amount, he, in addition to the assessed amount shall be liable to pay, on the expiry of thirty days from the date of order of assessment an amount of interest at the rate of sixteen per cent per annum compounded every six months".